कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/14715/विविध आ0–1/2–2013/2018, दिनांक: 07 जनवरी 2019

तत्काल/अत्यावश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबंधक,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध– महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा महाविद्यालयों में आपदा प्रबन्ध के विषय पर दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक भ0स0 55/सत्तर–3–20198 दिनांक 12 दिसम्बर 2018 के कम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 05/52/2018/NDMA/CBT दिनांक 22 नवम्बर 2018 **(छाया प्रति संलग्न)** के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र सं0 डिग्री विकास/15604/2018–19 दिनांक 19.12.2018 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा समस्त विन्दुओं पर कार्यक्रम आयोजित कराकर कृत कार्यवारी से अवगत कराये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में उल्लिखित विन्दुओं पर विन्दुवार कार्यक्रम का आयोजन कर कृत कार्यवाही से अधोलिखित को उनके सम्मुखांकित ई–मेल पर सूचित करने का कष्ट करें।

- **शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज– dhedegreeplan@gmail.com**
- **क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी– rheovns001@gmail.com**
- **कुलसचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–registrarmgkvp@gmail.com**

संलग्न–**यथोपरि।**

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. **प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी,** को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. **सम्पादक, समस्त सम्मानित समाचार पत्रों को इस आशय से कि सूचना को जनहित में प्रकाशित करने का कष्ट करें।**

कुलसचिव

14408
01 सै02

सं0 08/01/19

शीघ्र प्राथमिकता/समयबद्ध

षक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1.कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश ।
2.समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक : डिग्री विकास/ 15664 /2018–19 दिनांक : 19-12-2018

विषय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन द्वारा महाविद्यालयों में आपदा प्रबन्ध के विषय पर दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या – भ0स055/सत्तर–3–2018 दिनांक 12 दिसम्बर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–05/52/2018/NDMA/CBT दिनांक 22 नवम्बर 2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन महाविद्यालयों में किये जाने का निर्देश दिया गया है ।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों, राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में भारत सरकार के पत्र दिनांक 22 नवम्बर 2018 में निर्देशित किये गये समस्त बिन्दुओं पर बिन्दुवार कार्यक्रम आयोजित कराकर कृत कार्यवाही की संकलित सूचना निदेशालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

डॉ0 (दिलीप कपूर)
संयुक्त निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, प्रयागराज।

कार्यालय – क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी

पृ0सं0: क्षे0का0वा0/ 2198 – /2018–19, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपिः– समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय/समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, क्षेत्रान्तर्गत, वाराणसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
वाराणसी

आर. के. जैन, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)
सदस्य
R. K. JAIN, IAS (Retd.)
Member

No. 12795/MS/GI/2018
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Home Affairs
National Disaster Management Authority

DO.No.05/52/2018/NDMA/CBT

Dated: 22nd November 2018

Dear Anup,

Hon'ble Prime Minister chaired the sixth meeting of National Disaster Management Authority (NDMA) at New Delhi on 18th October, 2018 to review the activities of NDMA.

2. During discussion in the meeting, Hon'ble Prime Minister emphasized on the need for better coordination among stake-holders and desired that the following steps be taken immediately for the schools:

(a) Fire fighters should go to schools and conduct demonstration exercises and give lectures.

(b) In Districts, essay competition and oratorical competition should be conducted for children. Essays in schools examination should be introduced on the topic of "Disaster Management".

(c) The selection of sites for construction of schools and other essential public facilities should be based on a condition of minimal threat from disasters.

3. I therefore request you to issue necessary directions to all concerned to ensure compliance with the above directions of Hon'ble Prime Minister.

With regards,

Yours sincerely,

(R.K. Jain)

Shri Anup Chandra Pandey
Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Lal Bahadur Shastri Bhavan,
UP Secretariat,
Lucknow -226001

(डा० अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(मधु जोशी)
विशेष सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन